



राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खैरवाडा  
जिला - उदयपुर (राज0)

कैम्प:- ग्रामीण सेवा शिविर-2025


-:: आदेश ::-

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रार्थी खातेदारी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार मण्डल- ....खाण्डी ओबरी.....  
व भू - अभिलेख निरीक्षक, वृत्त- ....खैरवाडा..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार खैरवाडा की अनुशंघा के आधार  
पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम- .. उपलाफला

..... पटवार मण्डल- .....खाण्डी ओबरी..... तहसील- खैरवाडा जिला - उदयपुर  
की जमाबन्दी संवत्- .....2075-2078..... में खाता संख्या- 144..... में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को  
निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदराज करने के आदेश दिये जाते हैं -

राजस्व ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
करनाउवा (करनाउवा)	144	भीमजी पुत्र हाजां	प्रेमजी पुत्र हाजां


  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर एवं पदेन सहायक कलेक्टर, खैरवाडा  
खैरवाडा जिला, उदयपुर (राज0)।

कमांक :- सेवा शिविर-2025 / 07 / 2025 / 1440

दिनांक :-17.09.2025

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, ..... को भेजकर लेख हैं कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
2. प्रार्थी श्री ..... प्रेमजी पुत्र हाजां ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर एवं पदेन सहायक कलेक्टर, खैरवाडा  
खैरवाडा जिला, उदयपुर (राज0)।